

अकादमिक बैंक ऑफ क्रेडिट (ABC) एवं मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट प्रणाली का प्रभाव : राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के संदर्भ में

हिमांशु सिंह एवं अखिलेश पटेल

<https://doi.org/10.61410/had.v21i3.334>

1.0 प्रस्तावना –

शिक्षा किसी भी राष्ट्र के विकास का प्रमुख आधार होती है। वर्तमान शैक्षिक परिवेश तकनीकी एवं ज्ञान आधारित होता जा रहा है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का मुख्य उद्देश्य भारतीय ज्ञान परम्परा को अधिक समावेशी, लचीला, बहुविषयक, गुणवत्तापूर्ण तथा छात्र केंद्रित बनाना है। शिक्षा के इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए ही राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में अकादमिक बैंक ऑफ क्रेडिट तथा मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट प्रणाली जैसी महत्वपूर्ण व्यवस्था को इस शिक्षा नीति में महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है, जो उच्च शिक्षा में व्यापक परिवर्तन का आधार मानी जाती है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत इन दोनों व्यवस्थाओं का उद्देश्य केवल शैक्षणिक लचीलापन प्रदान करना ही नहीं, बल्कि विद्यार्थियों को बहुविषयक अध्ययन तथा कौशल आधारित शिक्षा को प्रोत्साहित करना है। यह शैक्षिक व्यवस्था ऐसे विद्यार्थियों के लिए अति महत्वपूर्ण है, जो आर्थिक सामाजिक या व्यक्तिगत कारणों से अपनी शिक्षा निरंतर जारी नहीं रख पाते हैं साथ ही ये विभिन्न विश्वविद्यालयों एवं उच्च शिक्षण संस्थानों के मध्य शैक्षणिक समन्वय और पारदर्शिता को भी बढ़ावा देती है।

भारत में लम्बे समय तक उच्च शिक्षा की रूपरेखा एक कठोर शैक्षिक ढांचे के रूप में रही है, जिसमें एक बार शिक्षा बाधित होने पर शिक्षार्थी को अपनी शिक्षा को जारी रखने का पुनः अवसर नहीं मिल पाता था। जिस कारण से विशेष आवश्यकता वाले कमजोर ग्रामीण, महिला तथा कार्यरत विद्यार्थियों को शिक्षा जारी रखने में अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने इन समस्याओं का समाधान प्रस्तुत करते हुए अकादमिक बैंक ऑफ क्रेडिट (ABC) एवं मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट प्रणाली की शुरुआत की। इन दोनों शैक्षिक प्रणालियों का मुख्य उद्देश्य शिक्षा व्यवस्था को लचीला, समावेशी एवं जीवन पर्यन्त सीखने के सिद्धांत पर आधारित बनाना है।

2.0 राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में उच्च शिक्षा का दृष्टिकोण –

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का उच्च शिक्षा में दृष्टिकोण भारत को एक वैश्विक ज्ञान महाशक्ति के रूप में बदलना है। इसका मुख्य लक्ष्य एक लचीली, बहुविषयक और समावेशी शिक्षा प्रणाली का निर्माण करना है, जो छात्रों का समग्र विकास करे और उन्हें 21 वीं सदी की चुनौतियों के लिए तैयार करे। इसके प्रमुख उद्देश्य निम्न लिखित हैं।

- शोधार्थी, अध्यापक शिक्षा विभाग, रामनगर पीजी कॉलेज, रामनगर, बाराबंकी, उ०प्र०
- एसोसिएट प्रोफेसर/शोध निर्देशक, अध्यापक शिक्षा विभाग, रामनगर पीजी कॉलेज, रामनगर, बाराबंकी उ०प्र०

- शिक्षा में गुणवत्ता एवं उत्कृष्टता।
- बहुविषयक शिक्षा।
- छात्र केंद्रित शिक्षा।
- अनुसंधान एवं नवाचार को बढ़ावा।
- डिजिटल शिक्षा का विस्तार।
- समग्र एवं समावेशी शिक्षा।

वैश्विक प्रतिस्पर्धा के अनुरूप उच्च शिक्षा।

3.0 अकादमिक बैंक ऑफ क्रेडिट प्रणाली की अवधारणा—

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने भारत की उच्च शिक्षा प्रणाली में व्यापक परिवर्तन की आवश्यकता को स्वीकार करते हुए शिक्षा को अधिक लचीला, नवाचारी और छात्र केंद्रित बनाने की दिशा में अनेक पहल की है इन्ही में से एक प्रमुख पहल है, अकादमिक बैंक ऑफ क्रेडिट प्रणाली जिसे डिजिटल क्रांति के युग में शिक्षा को अधिक समावेशी और स्वतंत्र बनाने के उद्देश्य से प्रस्तावित किया गया है। यह प्रणाली एक डिजिटल अकादमिक खाता प्रदान करती है, जहाँ छात्र विभिन्न उच्च शिक्षा संस्थानों से प्राप्त क्रेडिट्स को संरक्षित कर सकते हैं और आवश्यकतानुसार इसका उपयोग करके डिग्री या डिप्लोमा प्राप्त कर सकते हैं। ABC की अवधारणा का मूल आधार यह है कि शिक्षा एक जारी रखने वाली प्रक्रिया है, जो छात्रों को यह स्वतंत्रता देती है कि वे अपने जीवन की परिस्थितियों के अनुसार कहीं से भी और कभी भी शिक्षा प्राप्त कर सकें।

4.0 अकादमिक बैंक ऑफ क्रेडिट प्रणाली का उद्देश्य—

इसका मुख्य उद्देश्य छात्रों को किसी भी मान्यता प्राप्त उच्च शिक्षण संस्थान में अर्जित अपने शैक्षणिक क्रेडिट को डिजिटल रूप से स्टोर करने, ट्रांसफर करने और वापस प्राप्त (रिडीम) करने की सुविधा देना है, जिसमें मल्टीपल एंट्री और एग्जिट संभव हो सके।

इसके मुख्य उद्देश्य निम्न हैं।

- विद्यार्थियों को शिक्षा में लचीलापन प्रदान करना
- क्रेडिट ट्रांसफर को सरल बनाना।
- शैक्षिक संस्थानों के मध्य शैक्षणिक गतिशीलता बढ़ाना।
- ड्रापआउट विद्यार्थियों को पुनः शिक्षा से जोड़ना।
- डिजिटल रिकार्ड उपलब्ध कराना।
- बहुविषयक शिक्षा को प्रोत्साहित करना।

5.0 मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट प्रणाली की अवधारणा—

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में उल्लेखित मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट ऑप्शन भारतीय उच्च शिक्षा व्यवस्था को और भी ज्यादा समावेशी और छात्र केंद्रित बनाता है। इस नयी व्यवस्था से छात्र अपने

करियर के दौरान कभी भी अपनी पढाई फिर से शुरू कर सकते हैं, इससे उन्हें आजीवन नया पढ़ने और सीखने का मौका मिलता है। इस नीति के अनुसार अगर कोई छात्र किसी भी कारण वश पढाई को बीच सेमेस्टर में छोड़ देते हैं तो भी उन्हें सर्टिफिकेट और डिप्लोमा दिया जायेगा। अगर छात्र एक साल पढाई की है तो सर्टिफिकेट, दो साल शिक्षा ग्रहण करने पर डिप्लोमा दिया जायेगा, वहीं अगर कोर्स पूरा किया है तो डिग्री दी जाएगी।

यूजीसी के अनुसार – जो छात्र तीन साल में ग्रेजुएशन करना चाहते हैं, तो उन्हें 120 क्रेडिट प्राप्त करने होंगे जबकि चार साल में UG ऑनर्स डिग्री के लिए 4 साल में 160 क्रेडिट हासिल करने होंगे। मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट के तहत छात्रों को अपने पसंदीदा मेजर और माइनर कोर्स चुनने की अधिक स्वतंत्रता मिलती है। यह पहल भारतीय शिक्षा व्यवस्था में एक क्रान्तिकारी बदलाव की भांति है, जो छात्रों को अपने रुचि के अनुसार शैक्षिक अवसर प्रदान करता है।

6.0 मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट प्रणाली का उद्देश्य–

इस प्रणाली का मुख्य उद्देश्य छात्रों को उच्च शिक्षा में पूर्ण लचीलापन, गतिशीलता और स्वेच्छा से कोर्स छोड़ने और दोबारा शुरू करने की सुविधा देना है ताकि उनकी पढाई बीच में न छूटे और उन्हें अपनी शिक्षा को जारी रखने का पुनः अवसर मिल सके। यूजीसी के दिशा निर्देश के अनुसार इसके मुख्य उद्देश्य इस प्रकार हैं

- लचीलापन प्रदान करना
- ड्रापआउट को कम करना।
- शैक्षणिक नुकसान से बचाव।
- व्यावसायिक और कौशल शिक्षा का एकीकरण।
- नवीन ज्ञान प्राप्त करने का अवसर प्रदान करना।
- अनुसन्धान एवं नवाचार को बढ़ावा देना।

7.0 उच्च शिक्षा पर प्रभाव–

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत अकादमिक बैंक ऑफ क्रेडिट एवं मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट जैसी भविष्योन्मुखी शैक्षिक प्रणाली को उच्च शिक्षा व्यवस्था में लागू करना भारतीय शिक्षा व्यवस्था में नई सोच को उजागर करता है। पहले जहाँ विद्यार्थियों को किसी विश्वविद्यालय या महाविद्यालय में निरंतर अध्ययन करना अनिवार्य होता था वहीं अब उन्हें अपनी सुविधा, आर्थिक स्थिति, स्वास्थ्य, रोजगार एवं अन्य व्यक्तिगत कारणों के अनुसार शिक्षा को बीच में रोकने और बाद में पुनः प्रारंभ करने की सुविधा प्राप्त हुई है। जिसे निम्न लिखित बिंदुओं के माध्यम से समझा जा सकता है।

7.1 शिक्षा में लचीलापन–

इस प्रणाली का सबसे बड़ा लाभ शिक्षा में लचीलापन है। विद्यार्थी अपनी व्यक्तिगत परिस्थितियों के अनुसार पढाई रोक सकते हैं तथा बाद में पुनः प्रवेश लेकर अपनी शिक्षा को जारी रख सकते हैं।

7.2 ड्रापआउट दर में कमी—

भारत में अनेक विद्यार्थी ऐसे भी हैं जो अपनी आर्थिक, सामाजिक एवं पारिवारिक कारणों से अपनी शिक्षा को निरंतर जारी नहीं रख पाते थे, लेकिन वर्तमान में विद्यार्थी द्वारा अर्जित क्रेडिट सुरक्षित रहते हैं। इससे ड्रापआउट विद्यार्थियों को दोबारा शिक्षा से जुड़ने का अवसर मिलता है।

7.3 विद्यार्थी केंद्रित शिक्षा व्यवस्था—

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में उच्च शिक्षा व्यवस्था को विद्यार्थी केंद्रित शिक्षा के रूप में वर्णित किया गया है। इसके अंतर्गत विद्यार्थी अपनी रुचि, क्षमता और करियर की आवश्यकता के अनुरूप विषयों का चयन कर अपनी शिक्षा को अधिक उपयोगी और प्रभावी बना सकते हैं।

7.4 संस्थानों के मध्य गतिशीलता—

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू होने के उपरांत विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करने के लिए एक विश्वविद्यालय से दूसरे विश्वविद्यालय में जाकर अपने क्रेडिट स्थानांतरित कर सकते हैं। इससे उन्हें बेहतर संस्थान, बेहतर शिक्षक और नई शैक्षणिक सुविधाएं प्राप्त करने का अवसर मिलता है।

7.5 बहुविषयक शिक्षा को बढ़ावा—

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का उद्देश्य शिक्षा को केवल एक विषय तक सीमित कर देना नहीं है। विद्यार्थी अपनी रुचि के अनुसार विज्ञान विषय के साथ कला, वाणिज्य के साथ ही साथ कम्प्यूटर या अन्य विषयों का संयोजन कर सकते हैं। इससे विद्यार्थी की सोच व्यापक होती है।

7.6 कौशल आधारित शिक्षा को प्रोत्साहन—

वर्तमान शिक्षा व्यवस्था में केवल डिग्री प्राप्त करना ही शिक्षा का अंतिम ध्येय नहीं है, बल्कि शिक्षा के साथ ही व्यावहारिक कौशल की आवश्यकता है। ABC प्रणाली के माध्यम से विद्यार्थी विभिन्न कौशल आधारित पाठ्यक्रमों के क्रेडिट भी अर्जित कर सकते हैं।

7.7 अनुसंधान को बढ़ावा—

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में चार वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम का उल्लेख किया गया है। इस चार वर्षीय स्नातक कार्यक्रम में शोध का विकल्प उपलब्ध होने से विद्यार्थी में शोध के प्रति रुचि बढ़ेगी, जिसके परिणाम स्वरूप देश में नवाचार और वैज्ञानिक क्षेत्र में नित नवीन सोच का विकास होगा।

8.0 निष्कर्ष—

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत अकादमिक बैंक ऑफ क्रेडिट एवं मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट प्रणाली भारतीय उच्च शिक्षा व्यवस्था में ऐतिहासिक सुधार के रूप में है। जिसका उद्देश्य भारतीय उच्च शिक्षा व्यवस्था को लचीला, समावेशी गुणवत्तापूर्ण एवं रोजगारोन्मुख बनाना है। इससे विद्यार्थियों को अपनी परिस्थितियों के अनुरूप शिक्षा प्राप्त करने और अध्ययन में किसी भी प्रकार के अवरोध आने पर पुनः शिक्षा से जुड़ने तथा विभिन्न संस्थानों में अर्जित क्रेडिट का उपयोग करने की सुविधा प्राप्त होती है।

यद्यपि इसके क्रियावयन में तकनीकी प्रशासनिक एवं संरचनात्मक चुनौतियां हैं फिर भी उचित योजना, पर्याप्त संसाधन, जागरूकता एवं प्रभावी समन्वय के माध्यम से इसका समाधान किया जा सकता है। आने वाले समय में यह शिक्षा प्रणाली भारतीय उच्च शिक्षा व्यवस्था को वैश्विक स्तर पर अधिक प्रतिस्पर्धी एवं विद्यार्थी केंद्रित बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

सन्दर्भ

- मानव संसाधन विकास मंत्रालय (2020), राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, भारत सरकार।
- सिंह, राजेश कुमार (2020) , नई शिक्षा नीति 2020: एक समग्र अध्ययन , शिक्षा भर्ती प्रकाशन, नई दिल्ली।
- शर्मा, नम्रता चौधरी , सरिता , एवं यादव अनामिका(2024), राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020: अध्यापकों की भूमिका, नई दिल्ली पब्लिशर्स ,नई दिल्ली।
- कुमार, पांडे, सिंह (2024), राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020: शिक्षा की दिशा और दृष्टिकोण, प्राची डिजिटल पब्लिकेशन, नैनीताल, उत्तराखंड।
- कोठारी, अतुल (2024) राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020: भारतीयता का पुनरुत्थान, प्रभात प्रकाशन, नई दिल्ली।
- सिन्हा, सक्सेना (2026), नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति, शिवांक प्रकाशन, दरियागंज दिल्ली।
- कुमार, डॉ रोहित (2022), राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू होने के पश्चात शिक्षा क्षेत्र में चुनौतियाँ, इंस्टा पब्लिशिंग, बिलासपुर छत्तीसगढ़।
- भट्टाचार्य, जी. सी. (2020), अध्यापक शिक्षा, अग्रवाल पब्लिकेशन, आगरा।